[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, part II, section 3, subsection (i)]

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

G.S.R...(E).- In exercise of the powers conferred by section 135 and subsections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014, namely:-

- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Amendment Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014, -
 - (1) in rule 2, -

(a) in sub-rule (1), in sub-clause (i) of clause (c), after the words "relating to activities", the words ", areas or subjects" shall be inserted;

(b) in sub-rule (1), in sub-clause (ii) of clause (c), for the words"cover subjects enumerated", the words "include activities, areasor subjects specified" shall be substituted;

(c) in sub-rule (1), in clause (e), for the words "company as", the words "company in areas or subjects "shall be substituted.

- (2) in rule 5, in clause (i) of sub rule (1), for the words "an unlisted public company or a private company", the words "a company" shall be substituted.
- (3) In rule 6, -
 - (a) in sub-rule (1), in clause (a), for the words "falling within the purview of" the words "areas or subjects specified in" shall be substituted;
 - (b) in sub-rule (1), in second proviso to clause (b), for the words, "activities included in Schedule VII" the words "areas or subjects specified in Schedule VII" shall be substituted.
- (4) in rule 7, for the words, "purview of", the words "areas or subjects, specified in" shall be substituted.

[File No. 05/03/2018-CSR]

(K.V.R. Murty) 9/18

Joint Secretary to the Government of India

Note. – The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 129(E), dated the 27th February, 2014 and were subsequently amended by notification number G.S.R. 644(E), dated the 12th September, 2014, notification number G.S.R. 43(E), dated the 19th January, 2015 and notification number G.S.R. 540 (E) dated 23rd May, 2016.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय

<u>अधिसूचना</u>

सा.का.नि. (अ).- केंद्रीय सरकार कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 135 और धारा 469 की उपधारा (1) और (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 को और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये नियम भारत के राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

- कंपनियों (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 में -(1) नियम 2 में,-
 - (क) उप-नियम (1) में, खंड (ग) के उपखंड (i) में, "कार्यकलापों से संबंधित" शब्दों के पश्चात् "क्षेत्र या विषय" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
 - (ख) उप-नियम (1) के खंड (ग) के उपखंड (ii) में, "उल्लिखित विषय सम्मिलित हो"
 शब्दों के स्थान पर "जिसके अंतर्गत क्रियाकलाप, क्षेत्र या विनिर्दिष्ट विषयों" शब्दों को रखा जाएगा;
 - (ग) उप-नियम (1) के खंड (ङ) में, "यथाविनिर्दिष्ट कंपनी" शब्दों के स्थान पर "क्षेत्र या विषयों में कंपनी" शब्द रखे जाएंगे।

(2) नियम 5 में, उपनियम (1) के खंड (i) में, "कोई असूचीबद्ध सार्वजनिक अथवा प्राइवेट कंपनी" शब्दों के स्थान पर "कोई कंपनी" शब्द रखा जाएगा। (3) नियम 6 में, -

- (क) उपनियम (1) के, खंड (क) में, "क्षेत्र के भीतर आने वाले" शब्दों के स्थान पर "क्षेत्रों या विनिर्दिष्ट विषयों में" शब्दों को रखा जाएगा;
- (ख) उपनियम (1) के, खंड (ख) के, दूसरे परंतुक में, "अनुसूची-VII में शामिल कार्यकलापों" शब्दों के स्थान पर "क्षेत्रों या अनुसूची-VII में विनिर्दिष्ट विषयों" शब्दों को रखा जाएगा।

(4) नियम 7 में, "कार्यक्षेत्र" शब्द के स्थान पर "क्षेत्रों या विनिर्दिष्ट विषयों में" शब्दों को रखा जाएगा।

> [फाइल सं. 05/03/2018-सीएसआर] कि.वी.उत्तार मृति (के.वी.आर मृति) ^{1.8} संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पण.- मूल नियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, तारीख 27 फरवरी, 2014 को अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 129(अ) के द्वारा प्रकाशित किया गया था तथा तत्पश्चात् तारीख 12 सितंबर, 2014 को अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 644(अ) द्वारा, 19 जनवरी, 2015 को अधिसूचना संख्या सा.का.नि 43(अ) तथा 23 मई, 2016 को अधिसूचना संख्या सा.का.नि. संख्या 540 दवारा संशोधित किया गया।